तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4500/2005/नागौर चौखाराम बनाम नारायणराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.7.19	**खण्डपीठ** **श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांटस श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पो. **<u>निर्णय</u>** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-07-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक वाद परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नगवाडा विवादित आराजी रकबा 147 बीघा 9 बिस्वा जिसका वर्तमान रकबा 23.92 है0 कायम हुये है, अपीलांट/वादी एवं रेस्पो0/प्रतिवादी के पिता प्रतापराम की खातेदारी भूमि थी। जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 अपने पिता की मृत्यु के पश्चात से अपनी सविधानुसार बराबर-बराबर हिस्से पर काश्त करते आ रहे है। परन्तु रेस्पो0/प्रतिवादी ने सेटलमेंट कर्मचारीयों से मिलीभगत कर रकबा 12.05 है0 भूमि अपने नाम करवा ली जबकि उसके हिस्से में 11.96 है0 भूमि ही आयी है। इसलिए जरिये वाद शेष भूमि रकबा 0.45 है0 अपने नाम विभाजन कराने का हकदार है। प्रतिवादी ने जबाव पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2003 वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.03 से ग्रसित होकर अपीलांट/वादी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.7.2005 से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4500/2005/नागौर चौखाराम बनाम नारायणराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट की अपील खारिज कर दी । अपील अधिकारी के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.7.2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि परीक्षण न्यायाल यने जो तनकीयात की वह अपीलांट/वादी के वाद को निर्णित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परीक्षण न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि को पैतृक नहीं मानते हुये तनकी नं0 1 अपीलांट के विरूद्ध निर्णित की है किन्तु तनकी नं01 यह कायम की है कि राजस्व रिकार्ड से अपीलांट द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि विवादित भूमि रकबा 147 बीघा 9 बिस्वा अपीलांट व रेस्पो0 की खातेदारी भूमि थी। प्रतिवादी/रेस्पो0 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पो0 बहिस्सा बराबर की संयुक्त खातेदारी भूमि है एवं भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा भूमि का विभाजन किया गया है। प्रतिवादी/रेस्पो0 ने भी यह तथ्य स्वीकार किया है। इससे वादी/अपीलांट जिस उद्वेश्य से वाद लाया था वह भी सिद्ध होता है। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध आदेश से वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने भी परीक्षण न्यायालय का समर्थन करते हुये अपीलांट की अपील को विधि विरूद्ध निर्णय से अस्वीकार कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 28.11.02 को वाद निर्णय हेतु सुरक्षित रख लिया था किन्तु विभिन्न तारीखें देते हुये दिनांक 30.07. 2003 को निर्णय पारित किया गया जबकि आदेश 20 नियम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4500/2005/नागौर चौखाराम बनाम नारायणराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1 सी0पी0सी0 के तहत निश्चित अवधि में ही अपना निर्णय पारित करना चाहिए। इस बात को अपील अधिकारी ने माना है कि परीक्षण न्यायालय को पत्रावली इतने लंबे समय तक निर्णय हेतु रखना न्यायोचित नहीं था। परीक्षण न्यायालय उक्त निर्णय में त्रुटि मानते हुये भी अपीलीय अधिकारी ने अपीलांट की अपील अस्वीकार कर दी जो न्यायसगंत नहीं है। बहस के अंत विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । विद्वान अधिवक्ता0 रेस्पो ने बहस में तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पो0 की सहमति से सहायक कलेक्टर, परबसर ने इसी आराजी की घोषणा व खातेदारी का निर्णय दिनांक 22.2.79 किया है जो अपीलांट व रेस्पो0की सहमति व राजीनामे से किया गया है। इस आराजी बाबत शामलाती पर्चा लगान भी जारी होने के बाद पक्षकारान ने लिखित आवेदन पेश कर अलग–अलग खतौनी बनवायी है तथा अलग अलग खाते दर्ज करवाये है। आवेदन पर अपीलांट एवं रेस्पों0 दोनों की सहमति दर्ज है। ऐसे में अपीलांट का मेरिट पर कोई केश नहीं बनता। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि जब अपीलांट पूर्व में दो बार सहमति से निर्णय करवा चुका है तो न तो उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार था और न ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकार था। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में कहा कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली, मूल वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट व रेस्पो0 की सहमति से सहायक कलेक्टर, परबसर ने इसी आराजी की घोषणा व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4500/2005/नागौर चौखाराम बनाम नारायणराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.79 किया है जो अपीलांट व रेस्पो0की सहमति व राजीनामे से किया गया है। अतः पूर्व वाद, निर्णय व डिक्री के रहते हुये नवीन वाद पोषणीय नहीं है। अपीलांट पूर्व में दो बार सहमति व राजीनामे से निर्णय करवा चुका है तो न तो उसे नवीन वाद प्रस्तुत करने का अधिकार था और न ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकार था। पक्षकारों के मध्य राजीनामा होकर उसके आधार पर निर्णय हुआ है जिसकी अपील पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त भूमियों के सबंध में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर भूमियां पूर्णतया पैतृक सिद्ध नहीं होती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय उचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2003 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	